<u>न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़</u>

पीठासीन अधिकारी– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 8/2023 प्रार्थना पत्र/251ए. दिनांकः– 22.04.2025

अनवान

1– कैलाशचन्द्र पिता भागचन्द मेनारिया ब्राहमण नि. महुड़ा तह. बडीसादडी

–प्रार्थी

।। बनाम ।।

1– मोहनलाल पिता शंकरलाल मेनारिया नि. महुड़ा तह. बडीसादडी
2– दिनेशचन्द्र पिता भूरालाल मेनारिया नि. महुड़ा तह. बडीसादडी

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,</u>

उपस्थित– श्री जे.पी. वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री आर.एस. झाला विपक्षी नम्बर 1

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि–

1. प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 156 की आराजी नंबर 634, 635 मौजा महुडा तहसील बडीसादडी में स्थित है।
2. यह कि प्रार्थी उपरोक्त आराजी में पहुंचने के लिये एक रास्ता गांव महुडा से गांव गाडरीयावास जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते से होकर मौजा महुडा के खातेदार उंकार पिता मंगनीराम मेनारिया की आराजी नंबर 660 तथा शामलाती कुंए की आराजी नंबर 659 की दक्षिण दिशा में तथा खातेदार रामलाल पिता शंकर मेनारिया की आराजी नंबर 661 के उत्तर दिशा में होकर आराजी नंबर 662, 658, 657 के उत्तर दिशा में दोनों आराजीयात के बीच में होकर यह रास्ता आगे उत्तर दिशा में घुमकर आराजी नंबर 659 के पूर्व दिशा में व आराजी नंबर 556 के पश्चिम दिशा में दोनों आराजी के बीच में होकर आगे पूर्व दिशा में मुड़ कर खातेदार मोहनलाल पिता शंकर मेनारिया की आराजी नंबर 650 की दक्षिणी पाली व खातेदार मांगीलाल पिता चम्पालाल मेनारिया की आराजी नंबर 656 के उत्तर दिशा में स्थित होकर दोनों आराजीयात के बीच में होते हुए आगे आराजी नंबर 650 की पूर्व दिशा में होता हुआ मुझ प्रार्थी की आराजी नंबर 634 व 635 [illegible] है।
3. यह कि प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने [illegible] उपरोक्त वर्णित एक मात्र रास्ता पुश्तैनी तौर पर वर्षों पुराना गाडी गडार रास्ता होकर उक्त रास्ते का वर्षों से निरन्तर आज दिन तक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 17:01:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

विपक्षी मोहनलाल ने उनकी आराजी नंबर 655 के दक्षिण दिशा व पूर्व दिशा में पत्थर के खंभे व तार लगाकर करीब 4 माह पूर्व बंद कर दिया था। इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी आराजी पर हल, बैलगाडी लेकर आता जाता व आराजीयात की हंकाई, जुताई करता चला आ रहा लेकिन इस रास्ते को बंद करने से प्रार्थी अपनी आराजी की हंकाई, जुताई कर बरसाती फसल नहीं बो पाया व आराजी खाली पडी रही जिससे प्रार्थी को करीब 50000/– रूपये का नुकसान हो गया है। इसलिये उक्त रास्ते का खुलवाया जाकर उक्त रास्ते की घोषणा करायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में अंकित कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

4. यह कि उपरोक्त चरण संख्या 2 में वर्णित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने का विपक्षीगण नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी को उक्त रास्ते में जाने से रोक दिया है जिससे प्रार्थी को आर्थिक हानि हुई है विपक्षीगण ने मौके पर जबरन रास्ता रोक दिया है प्रार्थी के निवेदन करने पर भी रास्ता नहीं खोल रहे है तथा मौके पर विवाद कर आम शांति भंग करने पर आमादा है।

5. यह कि प्रार्थी को अपनी आराजी नंबर 634, 635 पर पहुंचने के लिये करीब 12 फिट चौडा तथा विपक्षी मोहनलाल व दिनेशचन्द्र की आराजी नंबर 655, 650 के दक्षिण पाली से होता हुआ उत्तर दिशा में मुडकर विपक्षी दिनेशचन्द्र की आराजी नंबर 650 के पूर्व दिशा में होता हुआ रास्ता विपक्षीगण की आराजी में से दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी विपक्षीगण को रास्ता भूमि का राजकीय नियमानुसार मूल्य अदा करने को तैयार हूं।

वकील विपक्षी ने अपने जवाब में निम्नानुसार पेश किया –

1. यह कि चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
2. यह कि उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की अपनी आराजीयात में पहुंचने के लिए अप्रार्थी के आराजीयात में से होकर कोई रास्ता नहीं जाता है तथा आराजी नंबर 655 और 650 में प्रार्थी के खेत पर जाने का कोई रास्ता कभी नही था और न ही वर्तमान में है। प्रार्थी गलत रूप से और अवैध रूप से अप्रार्थी की आराजीयात में रास्ता कायम करना चाह रहा है जो कि गलत है।
3. यह कि उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। महुडा से गाडरीयावास जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते के पास प्रार्थी की आराजी नंबर 626 स्थित है और उसके पास आराजी नंबर 631, 632 और 633 स्थित है जो कि प्रार्थी और उसके परिवार की ही आराजीयात है तथा प्रार्थी रिकॉर्डेड रास्ते से अपनी आराजी नंबर 626, 631, 632 और 633 से होकर अपनी आराजी नंबर 634 और 635 पर अनेक वर्षों से आता जाता है और इसी रास्ते का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। प्रार्थी ने अपनी आराजी नंबर 626 से होकर जाने वाले रास्ते को खुद ही बंद कर दिया और आराजी नंबर 626 से ही सीधा और नजदीक का रास्ता प्रार्थी के आराजी 634 और 635 पर पहुंचने का स्थित है। अप्रार्थी की आराजीयात पर कोई भी रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी ने कभी कोई रास्ता बंद नहीं किया। प्रार्थी का खेत कभी भी खाली नहीं पडा रहा बल्कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 17:01:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

निरन्तर अपनी आराजीयात पर फसल की बुवाई करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी ने अपनी आराजीयात पर फसल बो रखी है और वह अपनी आराजीयात पर स्थित रास्ते से ही आ जा रहा है। अप्रार्थी की आराजीयात शामलाती है और अन्य सह खातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता अप्रार्थी के खेत से नहीं जाता है और अप्रार्थी ने कोई रास्ता बंद नहीं किया है। अप्रार्थी काफी बुजुर्ग होकर बीमार एवं कमजोर व्यक्ति है। जिसका फायदा उठाकर प्रार्थी जबरदस्ती और अवैध रूप से अप्रार्थी की आराजीयात पर रास्ता कायम करना चाह रहा है। जिस कारण प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है।

रास्ते की वस्तुस्थिति जानने के लिए तहसीलदार बडीसादडी से रिपोर्ट मंगवाई गई दिनांक 14.3.2024 की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम महुडा की आराजी नम्बर 634 रकबा 0.13 हैक्ट. व आराजी नम्बर 635 रकबा 0.13 हैक्ट. कैलाशचन्द्र पिता भागचंद ब्राहमण नि. महुडा की खातेदारी दर्ज रिकोर्ड स्थित है। प्रार्थी द्वारा मौके पर अपनी खातेदारी आराजी 634 व 635 पर जाने हेतु रास्ता चाहा गया। आराजी नम्बर 660 व 659 की दक्षिणी मेड पर होते हुए आराजी नम्बर 655 वं 650 को दक्षिणी पाली से होकर आराजी नम्बर 650 की पूर्वी मेड से होकर रास्ता चाहा गया है जो निकटतम दूरी का है। मौके पर आने–जाने का रास्ता आराजी नम्बर 655 व 650 में से अत्यधिक आवश्यकता है। आराजी नम्बर 660, 659 में रास्ता मौके पर विद्यमान होकर चालु है। प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से पैदल पाली–पाली के सहारे पैदल अपनी आराजी तक आता जाता है। आराजी नम्बर 655 रकबा 0.15 हैक्टर दिनेश, गंगाबाई अंजुवाई धापुबाई प्रेमीवाई प्रथाबाई भगवतीबाई पिता भुरालाल नारायणीबाई स्व. भूरालाल 1/2 मोहन 2/9 रामलाल 2/9 लक्ष्मीबाई 1/18 पिता शंकर ब्राहमण के नाम व आराजी नम्बर 650 रकबा 0.09 हैक्ट. दिनेश, गंगाबाई, अजुबाई धापुबाई, प्रेमीबाई पत्नी स्व. भूरालाल ब्राहमण के नाम दर्ज रिकोर्ड है। आराजी नं. 655 क्षेत्रफल 30मी X 4मी= 120 व. मी. किस्म चा.1 आराजी नम्बर 650 क्षेत्रफल 60मी X 4मी= 240 चा. 1 जिसकी डी.एल.सी 174999 रू प्रति बीघा है।

वकील विपक्षी द्वारा उक्त रास्ते की रिपोर्ट पर आपत्ति कर पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया जिससे रास्ते की रिपोर्ट पुनः मंगवायी गई । दिनांक 07.04.2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मौके पर बिलानाम रास्ते की आराजी संख्या 558 से पूर्व दिशा की तरफ खातेदारी आराजी संख्या 660 के दक्षिण मेड पर एवं विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 661 व 662 के उत्तरी मेड की तरफ (आराजी संख्या 660 व 661, 662 के मध्य) खातेदारी में लगभग 8 फीट का रास्ता चालु है जिसके उत्तर की तरफ पक्की दीवार एवं दक्षिण की तरफ कच्ची मेड बनी हुई है। उक्त रास्ता आगे पूर्व दिशा में प्रार्थी, विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदारान के नाम संयुक्त रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 17:01:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

से दर्ज गै.मु. चाह आराजी संख्या 659 में बने कुएं तक जाता है। आराजी संख्या 659 में बने चाह के आगे आराजी संख्या 659 में पूर्व दिशा में पगडण्डी के रूप में आराजी संख्या 656 के उत्तर–पश्चिम सीमा एवं आराजी संख्या 655 के दक्षिणी कॉर्नर तक जाती है एवं इससे आगे किसी प्रकार का रास्ता एवं पगडण्डी मौके पर चालू नहीं है तथा पत्थर के खम्भे लगे होकर तारबंदी है । प्रार्थी कैलाशचन्द्र द्वारा इससे आगे जाने हेतु आराजी संख्या 655 एवं 650 में रास्ता चाहा गया है जिसकी रिपोर्ट पूर्व में मार्च 2024 में पेश हो चुकी है। वर्तमान में प्रार्थी अपनी आराजी पर आस–पास के खेतो में होकर जा रहा है।

उक्त रास्ते बाबत मौके पर उपस्थित विपक्षी मोहनलाल द्वारा विरोध किया गया तथा बताया है कि प्रार्थी कैलाशचंद्र की खातेदारी आराजी संख्या 626 बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 558 से लगता हुआ है तथा उससे आराजी संख्या 634 व 635 निकटतम दूरी पर स्थित है। मौके पर आराजी संख्या 626 के चारो ओर चार दीवारी बनी हुई होकर सामने रास्ते की तरफ फाटक लगी हुई है तथा पीछे की तरफ लगभग 4–5 फीट की पक्की दीवार बनी हुई है तथा इससे आगे पूर्व दिशा की तरफ अन्य खातेदार की आराजी संख्या 631, 632 एवं 633 स्थित है। आराजी संख्या 631 व 632 तथा 633 व 634 के मध्य पत्थर के खंभे लगे हुए होकर तारबंदी की हुई है तथा किसी प्रकार का रास्ता चालू नहीं है।

पूर्व में 655, 650 से होते हुए आराजी संख्या 634, 635 तक प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 90 मीटर है तथा आराजी संख्या 626 में बने प्रार्थी के नोहरे से आगे आराजी संख्या 631, 632 व 633 से प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 634 तक की दूरी 36 मीटर है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बडीसादडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 655, 650 से होते हुए आराजी संख्या 634, 635 तक प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 90 मीटर है जो प्रार्थी चाहता है। तथा आराजी संख्या 626 में बने प्रार्थी के नोहरे से आगे आराजी संख्या 631, 632 व 633 से प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 634 तक की दूरी 36 मीटर है। अतः प्रार्थी द्वारा जो रास्ता मांगा गया है वह निकटतम दूरी का नहीं है। तथा खाता संख्या 127 व 156 के अन्य सहखातेदारो को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 22.04.2025 को सुनाया गया ।

(प्रवीण कुमार मीणा) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.27 17:01:43 IST
Reason: SelfAttested